


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:- ई32/स्वा./स्वा.निरी./ (882)/2017/
दिनांक:-

आदेश

श्री हंसराज साध, स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर, जिनकी जन्मतिथि 29.09.1958 है, तथा राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 08.01.1987 है, को स्वयं के प्रार्थना पत्र पर राजस्थान सिविल सेवा नियम-1996 के नियम-50 (1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत दिनांक 07.06.2017 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया जाता है। दिनांक 07.06.2017 को अकार्य दिवस होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री हंसराज साध, स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।



(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई32/स्वा./स्वा.निरी./ (882)/2017/174

दिनांक:- 18/4/2017

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन बीकानेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक:- 2879 दिनांक 21.03.2017 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक की स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से पूर्व नोड्युज एवं रिकवरी की सूचना प्राप्त कर, पेंशन प्रकरण समय पर तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाते हुए निदेशालय को अवगत करावे।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर